

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1490 / 2025

अल्लानूर

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर परिषद्, बून्दी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025

आदेश की दिनांक : 05.03.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में फायरमैन के पद पर नगर परिषद्, बून्दी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से नगर निगम जोधपुर उत्तर में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का नाम अल्लानूर है जबकि आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम अल्लानूर अंसारी दर्शाया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर किया गया है, जबकि नगर परिषद्, बून्दी में कई पर रिक्त है एवं अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है। अपीलार्थी के माता-पिता एवं भाई की मृत्यु हो चुकी है इसलिए अपीलार्थी के अलावा परिवार को संभालने वाला अन्य कोई परिजन नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नगर परिषद्, बून्दी से नगर निगम जोधपुर उत्तर में किया गया है। अपीलार्थी के माता-पिता एवं भाई की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जो आलोच्य आदेश जारी होने से पहले कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य